सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
आश्विन 27, सोमवार, शाके 1942–अक्टूबर 19, 2020 *Asvina 27, Monday, Saka 1942–October 19, 2020*	

भाग-6(ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 14, 2020

संख्या प.2(3)नविवि/अलवर/2020:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उप धारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 के नियम 2 के खण्ड (II) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नांकित सारणी के कालम संख्या 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कालम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों को कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती हैः-

क्र.सं.	स्थानीय प्राधिकारी का नाम 2	अधिकारी का पद नाम 3
1	नगरपालिका, किशनगढवास	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका, किशनगढवास

शेष नगरीय क्षेत्र में सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 के नियम 2 के खण्ड (II) के तहत प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा।

हृदेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।